पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

मि0न0:–114/2025

रुबीना पत्नि अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान (राठ) निवासी सहारणी हाल आबाद वार्ड नं. 8 टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

(वादीया)

बनाम

1. सहदेव पुत्र मनीराम
2. बिरोजरानी पत्नि सहदेव
3. कमल सीवर पुत्र सहदेव
4. विमल पुत्र सहदेव

जाति जाट निवारीयान सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील रामस्वरूप भादू अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 4 सी. डी. आर. पटवार हल्का सहारणी के जमाबंदी खाता संख्या 34/ 155 की संयुक्त खाता की कुल 5. 8190 हैक्टेयर आराजी में प.न. 229/229 मु.न. 44 कि.न. 4/1/0.228 हैक्टेयर आराजी में से पूर्वी हिस्सा की 0.0786 हैक्टेयर आराजी तथा कि.न. 7, 14 प्रत्येक के पूर्वी हिस्सा की 0.0872 हैक्टेयर आराजी, कुल 0.253 हैक्टेयर नहरी आराजी का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि वादीया को प्राप्त कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with CamScanner